

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4214 सन् 2026**

हरीनायक तिवारी

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : नवीन कुमार पांडेय

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार पांडेय के साथ-साथ राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-I श्री भानु प्रताप सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया। अधिवक्ता श्री कौशलेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने आज न्यायालय में शिकायतकर्ता की ओर से वकालतनामा दायर किया है और इसे अभिलेख पर लिया जाता है।

2. वर्तमान आवेदन पुलिस थाना कोतवाली अयोध्या, जिला अयोध्या में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 296 वर्ष 2026, धारा 137(2), 87 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रार्थी को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. उपर्युक्त मामला दिनांक 27.04.2026 को प्रार्थी सहित तीन नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिनांक 23.04.2026 को शिकायतकर्ता की पुत्री का पुनः अपहरण कर लिया गया था।
4. भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के बयान में उसने कथित तौर पर कहा है कि वह राहुल भैया और उनकी पत्नी निशा के साथ राजस्थान गई थी तथा प्रार्थी ने पीड़िता की देखरेख करने के लिए उन्हें पैसे दिए थे कि जब वह वयस्क हो जाएगी, तो प्रार्थी उससे विवाह करेगा। पीड़िता ने शिकायत की कि प्रार्थी ने उससे बात करना बंद कर दिया है और वह उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं है।
5. पीड़िता की चिकित्सीय-विधिक परीक्षण रिपोर्ट में चोट का कोई निशान या बल प्रयोग का कोई संकेत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता की आयु सुनिश्चित करने के लिए अस्थिकरण परीक्षण नहीं किया गया है।
6. भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के बयान में उसने अपनी आयु 16 वर्ष बताई है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके साथ ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। लगभग डेढ़ वर्ष तक वह गोंडा में रहती थी। वह प्रार्थी से बात करती थी जो उसके पड़ोस में रहता था। इस कारण उसके माता-पिता ने उसे डांटा था और उसके बाद उसने प्रार्थी से बात करना बंद कर दिया था। उसने कहा कि वह अपने पिता से डरती है जो कहते हैं कि पीड़िता के कारण उनकी बदनामी हुई है। अपने पिता के डर से वह अपने घर से चली गई थी। उसने कहा कि प्रार्थी ने उसके साथ कोई दुराचार नहीं किया है और वह वयस्क होने के बाद उससे विवाह करेगी।
7. जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथ पत्र में यह कहा गया है कि प्रार्थी 24 वर्ष का एक युवा है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध एक आपराधिक मामला लंबित है जो स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराया गया था, अर्थात् मुकदमा अपराध संख्या 216 वर्ष 2026, धारा 137(2), 351(3), 115(2) भारतीय न्याय संहिता,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस थाना- कोतवाली अयोध्या, जिला- अयोध्या, जिसमें प्रार्थी को अभी तक कोई समन प्राप्त नहीं हुआ है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में अन्वेषण अभी भी जारी है।

9. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने तथा पीड़िता के सुसंगत बयानों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उसने प्रार्थी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है; यह कि प्रार्थी 24 वर्ष का एक युवा है और वह दिनांक 04.05.2026 से जेल में निरुद्ध है, मेरा यह मत है कि उपर्युक्त तथ्य प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का मामला बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

10. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. प्रार्थी- **हरिनायक तिवारी** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय के संतोषप्रद, समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उपर्युक्त मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाए: -

(i) प्रार्थी अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) प्रार्थी अभियोजन के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;

(iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

17 जून, 2026

आरती/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।